संख्या: 9/2016/605/क0नि0प्र0/26-3-2016-13(60)/2013 टीसी-III

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक: 26 मई,2016

समाज कल्याण विभाग

विषय:- "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम,2013" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 108/क.नि.प्र./26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 10 फरवरी,2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) की प्रति प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- उक्त अधिनियम की धारा-2(जी) में हाथ से मैला उठाने वाले (Mannual Scavenger) को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही अधिनियम में अन्य प्राविधानों के अतिरिक्त हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किये गये हैं:-

(1) अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में नगर निगमों के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा 02 माह के अन्दर तथा अन्य नगरपालिकाओं में उनके मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा 01 माह के अन्दर मैनुअल स्कैवेन्जर्स का चिन्हांकन/सर्वेक्षण किये जाने एवं तत्पश्चात् चिन्हित मैनुअल स्कैवेन्जर्स की अन्तिम सूची को प्रकाशित किये जाने का प्राविधान है। धारा-12 के अन्तर्गत चिन्हांकन हेतु मैनुअल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्कैवेन्जर्स से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण का प्राविधान किया गया है। धारा-14 एवं धारा-15 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा धारा-11 एवं धारा-12 के अनुसार ही मैनुअल स्कैवेन्जर्स का चिन्हांकन एवं अन्तिम सूची को प्रकाशित कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

(2) अधिनियम की धारा-13 में नगरपालिकाओं में अधिनियम की धारा-11 एवं 12 के अन्तर्गत चिन्हित मैनुअल स्कैवेन्जर्स को फोटोयुक्त पहचान-पत्र दिये जाने तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनका पुनर्वासन कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-16 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम रूप से चिन्हित मैनुअल स्कैवेन्जर्स को धारा-13 के प्राविधानों के अनुसार ही फोटोयुक्त पहचान निर्गत किये जाने तथा पुनर्वासित कराये जाने की व्यवस्था है।

3- प्रदेश में सर्वेक्षण आदि की कार्यवाही हेतु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतीराज विभाग को नामित किया गया है। अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत अधिनियम के प्राविधानों को चालू कराने के लिए संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

4- अधिनियम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर कराये गये सर्वेक्षण/चिन्हींकरण के अनुसार नगरीय क्षेत्र में 2404 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 7612 इस प्रकार कुल 10016 मैनुअल स्कैवेंजर चिन्हित किये गये हैं जिनकी जनपदवार सूची संलग्नक-"क" पर अवलोकनीय है।

5- विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले पत्रों/सूचनाओं के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया है कि समुचित ढंग से सर्वेक्षण/चिन्हांकन का कार्य पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप अभी भी प्रदेश के अनेक जनपदों में कार्यरत मैनुअल स्कैवेंजर सर्वेक्षण से वंचित रह गये हैं तथा उनके नाम जनपद की सर्वेक्षित सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं।

6- अतः कृपया आप अपने जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार/अभियान आदि के द्वारा नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज विभाग के माध्यम से हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों का अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पुनः सर्वेक्षण/चिन्हांकन आदि की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर,2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्ण कराते हुए जनपद स्तर की सूची को अद्यावधिक कराने तथा अन्तिम सूची निदेशक,स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश तथा निदेशक,पंचायतीराज उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराते हुए स्थिति से कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,लखनऊ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

पृ0 संख्या: 9/2016/605/(1)/क0नि0प्र0/26-3-2016 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार,नयी दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, बी-2, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव भाग-।।, नई दिल्ली।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/ पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0- 9/2016/605/क.नि.प्र./26-3-2016 दिनांक 26 मई,2016 का संलग्नक- "क"

क्र.सं.	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
1	आगरा	40	0	40
2	मैनपुरी	41	0	41
3	मथुरा	15	43	58
4	फिरोजाबाद	27	42	69
आगरा मण्डल		123	85	208
5	अलीगढ़	4	41	45
6	एटा	0	49	49
7	कासगंज	0	105	105
8	हाथरस	42	13	55
अलीगढ़ मण्डल		46	208	254
9	मेरठ	117	0	117
10	बुलन्दशहर	689	8	697
11	गाजियाबाद	59	0	59
12	हापुड़	175	21	196
13	गौतमबुद्ध नगर	0	25	25
मेरठ मण्डल		1040	54	1094
14	गाजीपुर	33	0	33
वाराणसी मण्डल		33	0	33
15	गोरखपुर	0	4	4
गोरखपुर मण्डल		0	4	4
16	फतेहपुर	105	7	112
इलाहाबाद मण्डल		105	7	112
17	कानपुर नगर	18	0	18
18	कानपुर देहात	17	0	17
19	इटावा	22	31	53
20	औरैया	24	0	24
21	फर्रुखाबाद	0	118	118
22	कन्नौज	41	0	41
कानपुर मण्डल		122	149	271

...2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
23	लखनऊ	0	57	57
24	उन्नाव	10	0	10
25	सीतापुर	9	19	28
26	हरदोई	125	222	347
27	खीरी	77	44	121
लखनऊ मण्डल		221	342	563
28	बरेली	376	304	680
29	बदायूं	345	139	484
30	पीलीभीत	224	60	284
31	शाहजहांपुर	422	199	621
बरेली मण्डल		1367	702	2069
32	बाराबंकी	0	5	5
33	अम्बेडकर नगर	0	16	16
फैजाबाद मण्डल		0	21	21
34	बहराइच	8	14	22
देवीपाटन मण्डल		8	14	22
35	मुरादाबाद	1201	113	1314
36	संभल	801	134	935
37	जे.पी. नगर	406	0	406
38	बिजनौर	986	108	1094
39	रामपुर	784	159	943
मुरादाबाद मण्डल		4178	514	4692
40	सहारनपुर	75	156	231
41	मुजफ्फरनगर	294	57	351
42	शामली	0	91	91
सहारनपुर मण्डल		369	304	673
महायोग		7612	2404	10016

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in